सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 270 राँची, मंगलवार, 5 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 26 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

22 जून, 2018

संख्या स०क०/राज०नि०-5/2009-1735--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली बनाते है–

झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त)नियमावली, 2018

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ -

(i) यह झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती,प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्यमें होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत होगा तथा पूर्व में अधिसूचित नियमावली स्वतः विलोपित समझी जायेंगी।

2. सेवा की प्रास्थिति झारखण्ड बाल विकास सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें वेतनमान PB-II, PB-III,PB-IV के पद समाविष्ट है। इस सेवा नियमावली में अंकित सभी पद राजपत्रित होंगे।

3. परिभाषाएँ-जब तक विषय के संदर्भ में कोई प्रतिकूल उल्लेख न हो, इस नियमावली में -

(क) 'संविधान' का अभिप्राय 'भारत का संविधान' से है।

(ख) 'भारत का नागरिक' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ग) 'राज्य' का अभिप्राय झारखण्ड राज्य से है।

(घ) 'सरकार' का अभिप्राय झारखण्ड की राज्य सरकार से है।

(ड) 'राज्यपाल' का अभिप्राय झारखण्ड राज्यपाल से है।

(च) 'विभाग' का अभिप्राय महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से है।

(छ) 'सचिव' का अभिप्राय महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में सरकारके प्रधान सचिव/सचिव से है।

(ज) 'आयोग' का अभिप्राय झारखण्ड लोक सेवा आयोग से है।

(झ) 'नियुक्ति पदाधिकारी' का अभिप्रेत झारखण्ड के राज्यपाल से है।

(ञ) 'निदेशक' का अभिप्राय निदेशक, समाज कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड से है।

(ट) 'सेवा के सदस्य' का अभिप्राय है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से कंडिका-5 में उल्लेखित पदों पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी स्वतः इस सेवा के नियमित सदस्य समझे जायेंगे।

(ठ) 'सेवा' का अभिप्राय झारखण्ड समेकित बाल विकास सेवा संवर्ग से है।

(ड) 'मौलिक नियुक्ति' का अभिप्राय सेवा के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार भर्ती के पश्चात् की गयी हो और यदि नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(ढ) 'भर्ती का वर्ष' का अभिप्राय कैलेण्डर वर्ष अर्थात 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि से है।

(ण) 'विभागीय प्रोन्नति समिति' से अभिप्रेत है राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप गठित समिति ।

(त) स्वच्छता प्रतिवेदन से अभिप्रेत है, आंतरिक निगरानी, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से प्राप्त स्वच्छता प्रतिवेदन तथा स्वच्छ गोपनीय चारित्रिक अभ्युक्ति ।

अध्याय-2

संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग:-

(i) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये।

(ii) इस सेवा में स्वीकृत होनेवाले प्रत्येक श्रेणी के पद इस सेवा में सम्मिलित समझे जायेंगे।

अध्याय 3

भर्ती/नियुक्ति

5. भर्ती का स्रोत:- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से कीजायेगी-

(क)	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (राजपत्रित वर्ग -2 का पद)	Basic Grade PB-II (9300-34800) GP 4800 (पुनरीक्षित वेतनमान)	75% पद पर सीधी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा एवं 25% महिला पर्यवेक्षिकाओं से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले 75% पदों का 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
(ख)	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक, समाज कल्याण	PB-III, (15600-39100) GP 6600 (पुनरीक्षित वेतनमान)	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद से प्रोन्नत्ति द्वारा भरा जायेगा।
(ग)	उप निदेशक, समाज कल्याण	PB-III, GP 7600	जिला समाजकल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक से प्रोन्नति द्वारा गरा जायेगा।
(घ)	संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण	PB-IV, GP 8700	उप निदेशक, समाज कल्याण से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

(i) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जायेगा, जिसमें 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

(ii) शेष 25 प्रतिशत पद महिला पर्यवेक्षिकाओं से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। महिला पर्यवेक्षिका से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए 10 वर्षों का संतोषप्रद सेवा का कालावधि होगा।

7. आरक्षण-इस सेवा में सीधी भर्ती / प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू आरक्षण नीति लागू होगी।

8. राष्ट्रीयता-भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा।

9. आयु-सीधी भर्ती के लिए उम्र निर्धारण हेतु कटऑफ डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी। इस सेवा में न्यूनतम आयु 22 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निरुपित प्रावधान के अनुरुप होंगी।

10. अयोग्यता-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जो सरकारी सेवा में नियोजन के लिए उपयुक्त हों।

11. परिवीक्षा-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि परिवीक्षा अवधि होगी।

12. स्थायीकरण / सेवा सम्पुष्टि -

(क) बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की सेवा के स्थायीकरण/सेवा सम्पुष्टि के लिए 60 दिनों की Institutional Training और 30 दिनों की Field Training अनिवार्य होगी। 60 दिनों की Institutional Training श्री कृष्ण लोक प्रशासन सस्थान, राँची द्वारा आयोजित की जायेगी एवं 30 दिनों की Field Training निदेशक, समाज कल्याण के द्वारा किसी भी परियोजना में करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त स्थायीकरण / सेवा सम्पुष्टि के लिए परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा तथा विहित विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना एवं कोषागार प्रशिक्षण पूरा कर लेना अनिवार्य होगा।

(ख) विभागीय परीक्षा नियमावली के अनुसार राजस्व पर्षद (केन्द्रीय परीक्षा समिति) द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आयोजित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद ही प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि सम्पुष्टि एव प्रोन्नति अनुमान्य होगी।

(ग) विभागीय परीक्षा में लेखा, विकास एव हिन्दी (उच्चस्तर) के प्रश्न पत्र होंगे।

13. वरीयता-किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से सीधे नियुक्त व्यक्तियों की वरीयता का निर्धारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा के क्रम में निर्धारित मेधा सूची के आधार पर तय की जायेगी।

14. अन्य विषयों का विनियमन-सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

15. व्यावृति (Scope and Limitations)-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

अध्याय-4

विभिन्न पदों हेतु अर्हताएँ / प्रोन्नति तथा अन्यान्य

16. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी -

(क) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद राज्य स्तरीय सेवा का पद होगा।

(ख) यह पद वेतनमान PB-II का राजपत्रित पद होगा। वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभइसके अनुरुप देय होंगे।

(ग) इस सेवा के 75% पदों पर सीधी भर्ती झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगता परीक्षा के आधार पर की जायेगी। भर्ती की प्रक्रिया वही होगी, जो लोक सेवा आयोग इस स्तर की सेवाओं के लिए निर्धारित करेगा।

(घ) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले 75% पदों का 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यह आरक्षण क्षैतिज होगा। उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होगी।

प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नांकित चरण होंगे :-

A प्रारंभिक परीक्षा - इसके प्रश्न वस्तुनिष्ट होंगे जिसका पूर्णांक 200 अकों का होगा।

पाठ्यक्रम - पेपर-1 सामान्य अध्ययन-100 अंकों का

- भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय अन्दोलन
- भारत एवं विश्व का भूगोल
- भारतीय राजव्यवस्था एवं अर्थ व्यवस्था
- झारखण्ड का इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था एवं सस्कृति

पेपर-2 सामान्य अध्ययन-100 अंकों का

- राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ
- सामान्य विज्ञान-इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है एवं सुशिक्षित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा रखी जाती है।
- सामान्य मानसिक क्षमता-तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता

नोट - (1) दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ट प्रकार के होंगे (बहुविकल्पीय प्रश्न)

(2) प्रश्न का माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे।

(3) प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटो की होगी।

(4) दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक पत्रों में बीस मिनट अतिरिक्त देय होगा।

B. लिखित मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में निम्न विषय होंगे। - (1) हिन्दी-यह 100 अंकों काहोगा। हिन्दी का अंक Qualifying होगा। इसके अंक मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

Qualifying अंक कम से कम 40 होगा।

(2) सामान्य अध्ययन-यह 150 अंको का होगा (3) लिखित मुख्य परीक्षा के निम्नांकित विषयों में से कम से कम किन्हीं दो विषयों का चयन करना अनिवार्य होगा।प्रत्येक विषय 200 अंको का वर्णनात्मक (Descriptive) होगा ।

(i) पोषण विज्ञान (ii) बाल विकास (iii) गृह विज्ञान (iv) मनोविज्ञान (v) समाजशास्त्र(vi) श्रम एवं समाज कल्याण (vii) शरीरिक स्वास्थ्य शिक्षा (PHE)।

C. न्यूनतम अर्हताए की गणना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्पसं0-13026 दिनाक-27.12.2012 की कंडिका- 3 (vi) के अनुसार की जायेगी।

(ङ) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का 75% पद सीधे नियुक्ति से लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा जिसमें 50% पद महिलाओं के लिए अरक्षित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज होगा शेष 25% पद महिला पर्यवेक्षिकाओं से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। यह प्रोन्नति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि शत्तों के अनुरूप

होगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 25% पद, जो महिला पर्यवेक्षिकाओं की प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ अनिवार्य होंगी:-

(i) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता,

(ii) महिला पर्यवेक्षिका के रूप में कम से कम 10 वर्षों की निरंतर एवं संतोषप्रद सेवा,

(iii) जीब ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

(iv) विगत पाँच वर्षों की गोपनीय अभ्युक्ति (यदि प्रतिकूल टिप्पणी हो तो वो प्रोन्नति के आयोग्य मानी जायेगी) आवश्यक होगी

(v) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर नियम वेतनमान आधारित कालावधि लागू होंगी। प्रोन्नति का आधार वरियता-सह-वांछित योग्यता होंगी।

(vi) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0-6149 दिनांक-07.11.2003 के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जायेगा।

(च) लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से वर्ष 2000 के पश्चात नियुक्त पदाधिकारियों को केन्द्रीय परीक्षा समिति की हिन्दी एवं लेखा परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना तथा कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना सेवा स्थायीकरण / सम्पुष्टि एवं वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए अनिवार्य होगा। वर्ष 2000 एवं उनके पूर्व नियुक्त पदाधिकारियों के लिए सेवा सम्पुष्टि एवं वार्षिक वेतनवृद्धि की अनुमान्यता के लिए मात्र हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं कोषागार प्रशिक्षण पूरा करने की ही अनिवार्यता होगी। इन विषयों का पाठ्यक्रम झारखण्ड प्रशासनिक सेवा हेतु निर्धारित पाठ्य क्रम के अनुरूप होगा, जिसकी सूची परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है।

(छ) जनजातीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता के विषय में सरकार द्वारा प्रवृत्त नियम लागू होंगे।

(ज) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने हेतू अवसर की गणना कार्मिक विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2959 दिनांक 03.04.2013 के अनुरूप होगी।

(झ) इसकी नियुक्ति पदाधिकारी राज्यपाल होंगे।

17. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक -

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक, समाज कल्याण का पद राज्य स्तरीय संवर्ग का होगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के 14 पदों एवं सहायक निदेशक के पदों पर वैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिन्होंने 8 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो एवं अन्य अर्हता धारण करते हों, की प्रोन्नति की जायेगी।

18. प्रोन्नति की प्रक्रिया

(i) इस सेवा की मूल कोटिं से भिन्न सभी उच्चतर पदों में प्रोन्नति सेवा के सदस्यों को वरीयता-सह-योग्यता एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जायेगी।

(ii) प्रत्येक वर्ष प्रोन्नति के लिए उपलब्ध होने वाले पदों की रिक्तियों का आकलन 01 जनवरी को आधार मानकर किया जायेगा।

(iii) सेवा के विभिन्न कोटि में प्रोन्नति के लिए वही कालावधि होगी, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड के द्वारा अन्य राज्य सेवाओं के लिए समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

(iv) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति का प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करते समय अनुपालन किया जायेगा।

समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत राजपत्रित पदों का पदसोपान निम्नवत् होगा

(क)	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (मूल कोटि का पद)	Basic Grade PB-II(9300-34800) GP 4800 (पुनरीक्षित वेतनमान)	75% पद पर सीधी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा एवं 25% महिला पर्यवेक्षिकाओं से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले 75%पदों का 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज होगा।
(ख)	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक, समाज कल्याण (प्रोन्नति का प्रथम पद सोपान)	PB-III (15600-39100) GP 6600 (पुनरीक्षित वेतनमान)	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
(ग)	उप निदेशक, समाज कल्याण (प्रोन्नति का द्वितीय पद सोपान)	PB-III (15600-39100) GP 7600	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक से प्रोन्नति द्वारा गरा जायेगा।
(घ)	संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण (प्रोन्नति का तृतीय पद सोपान)	PB-IV(37400-67000) GP 8700	उप निदेशक, समाज कल्याण से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्वीकृत पदों के 25% पदों पर महिला पर्यवेक्षिकाओ से, 14 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक, समाज कल्याण के पदों पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा नियमानुसार दी जायेगी। यह समिति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के निदेश के अनुरुप होगी।

19. प्रशासनिक / अनुशासनिक नियंत्रण

इस सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक / अनुशासनिक नियंत्रण महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची का होगा। यह सेवा झारखण्ड सरकारीसेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 से शासित होगा।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति

(i) बिहार बाल विकास परियोजना भर्ती नियमावली, 1995 को इसके द्वारा झारखण्ड राज्य क्षेत्र के लिए निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्तियों के प्रयोग में किया गया, कोई भी कार्य वैध एवं वैधानिक माना जायेगा।

(iii) वैसे सभी कार्य, जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व निर्गत आदेश/कार्यपालिका आदेश के तहत किए गए हों, को वैध माना जायेगा।

(iv) समाज कल्याण विभाग (प्रशासी विभाग) को यह शक्ति प्राप्त होगी कि नियमावली के कार्यान्वयन में आनेवाली व्यवहारिक कठिनाईयों को परिमार्जित करने हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त कर इस नियमावली के किसी प्रावधान को संशोधित अथवा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निर्देश / परिपत्र निर्गत कर सकती है और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(v) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत्त होगा तथा पूर्व में अधिसूचित नियमावली स्वतः विलोपित समझी जायेगी।

21. परिशिष्ट

अधिसूचना लागू होने की तिथि के समय सेवा के विभिन्न पद तथा उनके वेतनमान की विवरणी परिशिष्ट-I में एवं विभागीय परीक्षा एवं उसका पाठ्यक्रम परिशिष्ट-II में उल्लिखित है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट-I

(क) पदों के नाम एवं वेतनमान

क्र०स०	पदों का नाम	वेतनामन	अभ्युक्ति
1.	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	PB-II (9300-34800) GP 4800 (पुनरीक्षित वेतनमान)	
2.	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक,समाज कल्याण	PB-III (15600-39100) GP 6600 (पुनरीक्षितं वेतनमान)	
3.	उप निदेशक, समाज कल्याण	PB-III(15600-39100) GP 7600	
4.	संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण	PB-IV(37400-67000) GP 8700	

(ख) पदों की स्वीकृति-विषयक स्थिति / प्रस्ताव

क्र०स०	पदों का नाम	वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, समाज कल्याण	14	-	
2.	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	224	-	
3.	उप निदेशक, समाज कल्याण	-	-	
4.	संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण	-	-	नियमावली गठित होने के उपरांत आवश्यकता आधारित पद सूजन का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

नोट : नये सिरे से प्रस्तावित पदों का वेतनमान नियमावली प्रवृत होने की तिथि से वित्त विभाग के स्तर से संसूचित किया जायेगा।

परिशिष्ट - 11

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा एवं उसका पाठ्यक्रम

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों हेतु विभागीय परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की परीक्षा के साथ की जायेगी। ये परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में हिन्दी, लेखा-कोषागार प्रशिक्षण एवं जनजातीय भाषा परीक्षा सम्मिलित होगी, जिसका पाठ्यक्रम प्रशासनिक सेवा के राजपत्रित पदाधिकारियों हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।

क्र०सं०	विषय	पाठ्यक्रम	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समायावधि	अभ्युक्ति
1.	हिन्दी (लिखित)	राज्य प्रशासनिक सेवा के अनुरूप	200	120	3 घंटे	
2.	हिन्दी (मौखिक)	तथैव	100	50	--	
3.	लेखा (पुस्तक सहित)	तथैव	100	50	$1\frac{1}{2}$ घंटे	
4.	लेखा (पुस्तक रहित)	तथैव	100	50	$1\frac{1}{2}$ घंटे	
5.	कोषागार प्रशिक्षण	तथैव	--	--	4 सप्ताह	चार सप्ताहका कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इस विषय में प्रमाण पत्र संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद को भेजा जायेगा।
6.	जनजातीय भाषा परीक्षा (लिखित)	तथैव	100	50	--	जनजातीय भाषा की परीक्षा में संथाली, मुंडारी, उराँव एवं हो में से किसी एक भाषा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा
7.	जनजातीय परीक्षा (मौखिक) भाषा	तथैव	100	50	--	

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 270 - 50